**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 504**

**जिसका उत्तर 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है**

**कोयला क्षेत्र में एफडीआइ**

**504**. **श्री विनायक भाऊराव राऊतः**
**श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः**
**श्री हेमन्त पाटिलः**
**श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:**
**डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनन, प्रसंस्करण और बिक्री में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकृत किया है;

(ख) कोयला क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोलने के क्या लाभ हैं;

(ग) क्या यह कदम कोल इंडिया लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त करेगा और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से पूर्व मजदूर संघ सहित अन्य हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में लगभग 5 लाख मजदूर कोयला क्षेत्र में एफडीआई के विरोध में हड़ताल पर गए थे, जिससे कोल इंडिया में कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ था और अत्यधिक राजस्व की हानि हुई थी;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर कोयला खान मजदूर संघों के साथ चर्चा की थी और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(छ) देश में कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने और अन्य देशों से इसके आयात को कम करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

**(क) से (च):** सरकार ने कोयला खनन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2019 को जारी किए गए प्रेस नोट में यह सूचित किया गया है कि कोयले की बिक्री, संबद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है जो समय-समय पर संशोधित सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 और एमएम (डीआर) अधिनियम, 1957 के उपबंधों और इस विषय से संबंधित अन्य अधिनियमों के अधीन होगी। संबद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोयला वॉशरी, कोयले की हैंडलिंग और सेपरेशन (मैगनेटिक और नॉन-मैगनेटिक) शामिल हैं। कोयले की बिक्री के लिए संबद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों के लिए 100% एफडीआई की अनुमति से आशा है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आकर्षित होंगी और दक्षतापूर्ण तथा प्रतिस्पर्धात्मक कोयला बाजार तैयार होगा।

कोयले की बिक्री के लिए कोयला खनन और संबद्ध प्रक्रियाओं में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए विभिन्न केंद्रीय मजदूर संघों अर्थात् इण्डियन नेशनल माइंस वर्कर्स फेडरेशन, हिंद खदान मजदूर फेडरेशन, इंडियन माइंस वर्कर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया कोल

वर्कर्स फेडरेशन और कोल माइंस वर्कर यूनियन ने 24.09.2019 के लिए एक दिन की हड़ताल का नोटिस दिया था और भारतीय मजदूर संघ ने कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में कार्य ठप करने हेतु पांच दिनों (23-27 सितंबर, 2019) की हड़ताल का नोटिस दिया था। सीआईएल द्वारा 23.09.2019 के उत्पादन की स्थिति के अनुसार सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में कोयला उत्पादन का प्रतिशत सामान्य उत्पादन का 81.25% था, 24.09.2019 तक सामान्य उत्पादन का 43.38% था और 25.09.2019 तक सामान्य का 87.14% था। कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने के लिए केंद्रीय मजदूर संघों को राज़ी करने के प्रयास किए थे। केंद्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 19.09.2019 को कोयला मंत्रालय ने बैठक का आयोजन किया था परंतु केंद्रीय मजदूर संघों ने बैठक में भाग नहीं लिया।

**(छ):** कोयला का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं अर्थात् सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 और एमएम (डीआर) अधिनियम, 1957 के तहत कई कोयला खानों की नीलामी और आबंटन के जरिए आबंटन किया गया है, कोयला ब्लॉकों के विकास और संचालन पर गहन और नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है, आबंटित किए गए कोयला ब्लॉकों के लिए जल्द से जल्द पर्यावरणीय और वन अनापत्ति लेने हेतु प्रयास किए जाते हैं, समय पर भूमि अधिग्रहण इत्यादि के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय किया जाता है। इनके अलावा, सीआईएल ने अपना कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- आगामी पांच वर्षों में 92 एमटीपीए की क्षमता वाली 55 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को शुरू करना और लगभग 310 एमटीपीए की क्षमता वाली 193 ब्राउनफील्ड परियोजनाओं का विस्तार करना।
- परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए चालू परियोजनाओं की पोर्टल आधारित निगरानी।
- गेवरा विस्तार, दीपका एवं कुस्मुण्डा ओपन कास्ट खानों में 42 घन मीटर शॉवल तथा 240 टन रियर डम्पर्स जैसी उच्च क्षमता की हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) के साथ कार्यक्षमता में सुधार करने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू करना।
- प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ओपनकास्ट खानों में सतही खनिकों को लगाना। वर्ष 2018-19 के दौरान सीआईएल में लगभग 50 प्रतिशत ओपनकास्ट कोयला उत्पादन सतही खनिकों के माध्यम से हुआ था।
- सीआईएल की 11 खानों में आईटी इनेबल्ड ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) लागू करना।
- भूमिगत कोयला खानों में व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग जिसमें 2 खानों में पावर सपोर्ट लॉंगवॉल प्रौद्योगिकी से तथा 9 खानों में सतत खनिक प्रौद्योगिकी से कार्य किया जाता है।
- तीव्र कोयला निकासी के लिए सिलो और तीव्र लदान पद्धति के साथ 19 कोल हैंडलिंग प्लांट प्रचालन में है जिनकी मौजूदा क्षमता 152.5 मिलियन टन है।

इसके अलावा कोयला का आयात कम करने के लिए सीआईएल द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं:

i. उच्च ग्रेड के कोयला स्रोत से आंशिक आपूर्ति सहित स्रोत युक्तीकरण।
ii. सीआईएल स्रोतों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) न करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार की ई-नीलामी स्कीमों विशेष रूप से विशेष फारवर्ड ई-नीलामी के जरिए विभिन्न स्रोतों से और अधिक कोयले का प्रस्ताव किया गया था।
iii. विभिन्न श्रेणी की विद्युत ईकाइयों की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार की शक्ति नीति के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है।
iv. गैर-विनियमित क्षेत्रों के लिए लिंकेज नीलामी कार्यान्वयन।

*****